यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

प्रकरण सं.: 76/12/दावा

1. बेगाराम आयु 70 साल
2. भागीरथ आयु 65 साल

पुत्रगण स्व. गुमानाराम उर्फ गुल्लाराम जाति बलाई निवासीगण तुलसीरामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीक

वादीगण

ब ना म

1. श्योपाल पुत्रश्री सुखाराम आयु 35 साल जाति गुर्जर
2. बनवारीलाल पुत्रश्री भगवानाराम आयु 42 साल जाति गुर्जर
   निवासीगण कैरपुरा (गोवटी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. सिकन्दर पुत्रश्री अहमद बक्स जाति चौपदार (मुसलमान) निवासी कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं इन्दाज दुरूस्ती

उपस्थिति :

3. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक– 29.05.2015

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नं. 1008 रकबा 7.11 है0, 1008/1239 रकबा 0.65 है0, 1009 रकबा 0.07 है0, 1012 रकबा 0.70 है0, 1013 रकबा 0.01 है0, 1022 रकबा 1.15 है0, 1023 रकबा 0.04 है0, 1026 रकबा 0.27 है0, 1027 रकबा 0.02 है0, 1030 रकबा 0.06 है0 किता 10 कुल रकबा 10.08 है0 जिसके पुराने खसरा नं. 356 तन ग्राम रूपपुरा प.मं. रेटा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। जिसकी हिस्से की खातेदारी वादीगण के पिता स्व. गुमानाराम उर्फ गुल्लाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। वादीगण का सजरा खानदान इस प्रकार से है:–

लादूराम (मृत)
↓
गुमानाराम उर्फ गुल्लाराम (मृत)
↓

बेगाराम(पुत्र)	नारायणीदेवी(पत्नी)	भागीरथ (पुत्र)
वादी सं. 1	मृत	वादी सं. 2

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

वाद की मद सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमि के पुराने राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम गुमानाराम निवासी ढाणी कैरा की बदस्तूर अंकित चला आ रहा है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के पिता का नाम गुल्लाराम निवासी ढाणी कैरासी अंकित है। गुमानाराम एवं गुल्लाराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है जो कि वादीगण का पिता था। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खसरा गिरदावरी में भी वादीगण के पिता का नाम गुमाना बलाई नि. कैरासी ढाणी अंकित चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर वादीगण के पिता जीवनपर्यन्त काश्त करते रहे है तथा मृत्यु के उपरान्त वादीगण उक्त वर्णित कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर लगातार निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता गुल्लाराम निवासी ढाणी कैरासी हिस्सा 1/2 के स्थान पर बेगाराम, भागीरथ पुत्रगण गुमानाराम जाति बलाई हिस्सा 1/2 अंकित कर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है उक्त गलत अंकन से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा वादीगण के विरासत में प्रापत कृषि भूमि से महरूम होना पड़ रहा है इसलिए वादीगण के नाम से विरासत में प्राप्त उक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के खिलाफ वादीगण को कोई सहायता प्राप्त नहीं करना है लेकिन सहखातेदार होने के कारण उक्त वाद में फोरमल रूप से आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वादीगण को आवश्यक कार्यवश रिकार्ड की नकल लेने पर गलत अंकन की जानकारी होने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण ड्रिकी फरमाया जाकर वाद की मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण के पिता स्व. गुमानाराम उर्फ गुल्लाराम निवासी ढाणी कैरासी हि. 1/2 के स्थान पर वादीगण के नाम से विरससत में प्राप्त उक्त 1/2 हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जावें। वाद के समर्थन में खसरा मिलान, जमाबंदी संवत् 2051, 2053–56, खसरा गिरदावरी संवत् 2013–16, नक्शा ट्रेश, जमाबंदी संवत् 2065–68, निर्वाचक नामावली 1988, वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 26.6.06, प्रमाण पत्र पंचायत दिनांक 20.03.2012, मृत्यु प्रमाण पत्र गुमानाराम, मृत्यु प्रमाण पत्र नारायणदेवी, मतदाता पहचान पत्र बेगाराम, परिवार राशन कार्ड बेगाराम, मतदाता पहचान पत्र भागीरथ, परिवार राशन कार्ड भागीरथ पेश किये गये।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ से ली गई। तहसीलदार, दांतारामगढ ने पत्रांक भूअ/13/614 दिनांक 06.06.2013 के द्वारा रिपोर्ट भिजवायी गई जो शामिल मिसल की गई।

3. बहस वादीगण के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी में वादीगण के पिता स्व. गुमानाराम उर्फ गुल्लाराम निवासी ढाणी कैरासी हिस्सा 1/2 दर्ज है, के स्थान पर बेगाराम, भागीरथ पुत्रगण गुमानाराम जाति बलाई हि. 1/2 उद्घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना निवेदन है। वकील वादीगण ने खसरा मिलान, जमाबंदी संवत् 2028–31, 2032–35, 2036–39, 2041–44, खसरा गिरदावरी संवत् 2009–2032, विद्युत बिल

... अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

गुमानाराम दिनांक 27.06.01, परिवार राशन कार्ड गुमानाराम, जमाबंदी संवत् 2069–72, जमाबंदी संवत् 2057–60 दस्तावेजात पेश किये गये।

1. हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। खसरा गिरदारवरी संवत् 2009–12 में काश्त कालम में गुमाना पुत्र लादू बलाई अंकित है एवं अन्य सभी खसरा गिरदावरों में गुमानाराम पुत्र ...... अंकित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत निवार्चक नामावली 1988, परिवार राशन कार्ड, विद्युत बिल, पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में गुमानाराम पुत्र लादूराम नाम साबित है। ग्राम कोछोर की जमाबंदी संवत् 2057–60 खाता सं. 57 में गुमाना पुत्र लादू बलाई तथा संवत् 2069–72 खाता सं. 199 में बेगाराम भागीरथ पि. गुमाना हि.ब. जाति बलाई दर्ज है। गुमानाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र में गुमानाराम वल्द लादूराम बलाई है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार गुमानाराम व गुल्लाराम एक ही व्यक्ति है। खातेदार गुमानाराम उर्फ गुल्लाराम की मृत्यु हो चुकी है। तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रूपपुरा के वर्तमान खसरा नं. 1008 से 1009, 1012, 1013, 1022, 1023, 1026, 1027, 1030 किता 10 कुल रकबा 10.08 है0 का हि. 1/2 की खातेदारी गुल्लाराम नि. ढाणी केरासी के नाम से दर्ज है। उक्त खातेदारी जमाबंदी संवत् 2053–56 के मुताबिक गुमानाराम ..... नि. ढाणी केरासी मोती पुत्र जीवण गुजर नि. कैरपुरा हि.ब. खातेदार के नाम से दर्ज थी आगामी जमाबंदी तहरीर करते समय गुमानाराम के बजाय गुल्लाराम सहवन से दर्ज कर दिया गया। मौका जांच में बताया गया कि उक्त खातेदार का सही नाम गुमानाराम जमाबंदी संवत् 2053–56 के अनुसार है। मौके पर उक्त गुमानाराम के पिता का नाम लादूराम बताया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण उपरोक्त वर्णित भूमियों में उद्घोषणा के अधिकारी है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने के आदेश दिये है तथा ग्राम रूपपुरा प.मं. रेटा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के वर्तमान भूमि खसरा नं. 1008 से 1009, 1012, 1013, 1022, 1023, 1026, 1027, 1030 किता 10 कुल रकबा 10.08 है0 का हि. 1/2 की वादीगण को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती होने हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

2. यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

बेगाराम आदि बनाम श्योपाल आदि

दावा बाबत उद्घोषणा व दुरूस्ती

मुकदमा नं0 76/दावा/2012 निर्णय दिनांक 29.05.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड़ आरएएस बहाजरी श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील मिनजानिब मुद्दई –– मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किये जाने के आदेश दिये है तथा ग्राम रूपपुरा प. मं. रेटा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के वर्तमान भूमि खसरा नं. 1008 से 1009, 1012, 1013, 1022, 1023, 1026, 1027, 1030 किता 10 कुल रकबा 10.08 है0 का हि. 1/2 की वादीगण को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती होने हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।
बीज .... मुबलिग........ बाबत .... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 मई सन् 2015 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

ओहदा उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकायलतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	6	00			
मीजान	11	00	मीजान		

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

प्रकरण सं.: 76/12/दावा

1. बेगाराम आयु 70 साल
2. भागीरथ आयु 65 साल

पुत्रगण स्व. गुमानाराम उर्फ गुल्लाराम जाति बलाई निवासीगण तुलसीरामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीक

वादीगण

ब ना म

1. श्योपाल पुत्रश्री सुखाराम आयु 35 साल जाति गुर्जर
2. बनवारीलाल पुत्रश्री भगवानाराम आयु 42 साल जाति गुर्जर
   निवासीगण कैरपुरा (गोवटी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. सिकन्दर पुत्रश्री अहमद बक्स जाति चौपदार (मुसलमान) निवासी कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्‌घोषणा एवं इन्दाज दुरूस्ती

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादीगण की ओर से

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक-- 29.05.2015</u>

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ